



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05122025-268275
CG-MH-E-05122025-268275

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 784]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2025/अग्रहायण 12, 1947

No. 784]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2025/AGRAHAYANA 12, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 3 दिसम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/282.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से तीसवें दिन लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 1992 में,-

I. विनियम 2 में, उन-विनियम (1) में, मौजूदा खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(घ) “मुख्य अधिकारी” (प्रिंसिपल ऑफिसर) का अर्थ है - मर्चेट बैंकर (बैंककार) का वह कर्मचारी, जिसके पास वित्तीय बाजारों (फाइनेंशियल मार्केट) में कार्य करने का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो, और जिसे मर्चेट बैंकर द्वारा यह ओहदा दिया गया हो, और जिस पर मर्चेट बैंकिंग से जुड़े कामकाज के प्रबंधन या संचालन के संबंध में तथा मर्चेट बैंकर के दूसरे समस्त कामकाज के संबंध में मर्चेट बैंकर के स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों की जिम्मेदारी हो:

परंतु यह कि जिस मर्चेट बैंकर को इन विनियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पहले से ही मिला हुआ हो, वह इस खंड में किए गए प्रावधान का पालन उतने समय में और उसी प्रकार सुनिश्चित करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए;”

II. मौजूदा विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन

3. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक न तो मर्चेट बैंकर की हैसियत से कार्य करेगा और न ही खुद को मर्चेट बैंकर बताएगा, जब तक कि उसे इन विनियमों के तहत बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र न मिल जाए।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन बोर्ड के पास प्ररूप-क में प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) उप-विनियम (2) के तहत रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अनुसूची-II में बताई गई आवेदन फीस (जो लौटाई नहीं जाएगी) अदा करनी होगी।

(4) उप-विनियम (2) के तहत आवेदन मर्चेट बैंकर की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के लिए किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) श्रेणी-I (प्रवर्ग-I), जो समस्त अनुमत कार्य आदि कर सकता है;

(ख) श्रेणी-II (प्रवर्ग-II), जो समस्त अनुमत कार्य आदि तो कर सकता है, किंतु जिन इक्विटी शेयरों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य बोर्ड (मेन बोर्ड) पर सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो उनके पब्लिक इश्यू (सार्वजनिक प्रस्ताव) से संबंधित कार्य आदि नहीं कर सकता:

परंतु यह कि जिस मर्चेट बैंकर को इन विनियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पहले से ही मिला हुआ हो, वह श्रेणी-I (प्रवर्ग-I) के तौर पर या श्रेणी-II (प्रवर्ग-II) के तौर पर खुद अपनी श्रेणी फिर से उतनी समयावधि के भीतर और उसी प्रकार बदल सकेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।”

III. विनियम 6 में,

i. शब्दों “मर्चेट बैंककार” के स्थान पर, शब्द “मर्चेट बैंकर” आ जाएँगे;

ii. मौजूदा खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा (किंतु उसके परंतुक में कोई बदलाव नहीं होगा), अर्थात्,-

“(क) आवेदक एक कंपनी (निगमित निकाय / बॉडी कारपोरेट) [जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 या कंपनियों के विषय में बनाए गए पहले के किसी कानून के तहत बनी कंपनी अथवा कोई सीमित दायित्व भागीदारी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) फर्म शामिल है] होगा, किंतु वह -

- (i) भारत के बाहर बनी कंपनी न हो, हालाँकि वह विदेशी बैंक हो सकता है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक से लाइसेंस मिला हुआ हो,
 - (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में दी हुई परिभाषा के अनुसार कोई एक व्यक्ति कंपनी (वन पर्सन कंपनी) न हो, और
 - (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-झ के खंड (च) [समय-समय पर यथा संशोधित] में दी हुई परिभाषा के अनुसार कोई गैर-बैंकारी वित्तीय कंपनी (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी / एन.बी.एफ.सी.) न हो:”
- iii. मौजूदा खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
- “(खक) जिन कर्मचारियों का जिक्र खंड (ख) में किया गया है उन कर्मचारियों के पास और अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) के पास वह प्रमाणपत्र हो (वे प्रमाणपत्र हों), जो बोर्ड बताए;”
- iv. मौजूदा खंड (ग) हट जाएगा;
- v. मौजूदा खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-
- “(घ) आवेदक के लिए जितना-जितना पैसा रखने का प्रावधान किया गया हो वह उतना-उतना पैसा रखता हो [पूँजी पर्याप्तता (कैपिटल एडिक्वेंसी) के संबंध में जो भी प्रावधान निर्धारित किए गए हों, आवेदक वे अपेक्षाएँ पूरी करता हो], और साथ ही वह उतनी लिक्विड नेटवर्थ भी बनाए रखता हो, जैसा विनियम 7 और विनियम 7क में जिक्र किया गया है;”
- vi. मौजूदा खंड (ज) में, चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “;” आ जाएगा;
- vii. मौजूदा खंड (ज) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
- “(झ) यदि आवेदक का इन विनियमों के तहत बोर्ड से पहले से ही रजिस्टर किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध हो, तो ऐसे में बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें पूरी करनी होंगी।
- स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनार्थ,-
- i. किसी व्यक्ति के संदर्भ में “प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध” तब माना जाएगा, जब वह व्यक्ति आवेदक [यदि आवेदक एक कंपनी (बॉडी कारपोरेट) हो] की सहयोगी (असोसिएट) कंपनी हो या उसकी सहायक (समनुषंगी / सब्सिडियरी) कंपनी हो या उसके साथ आपस में जुड़ी हुई कोई कंपनी (इंटर-कनेक्टेड कंपनी) हो या उसकी समूह कंपनी (ग्रुप कंपनी) हो;
 - ii. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर) (संशोधन) विनियम, 2025 के लागू होने से पहले किसी दूसरे मर्चेन्ट बैंकर से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जुड़े किसी मर्चेन्ट बैंकर को यदि कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान गया हो, तो वह आगे भी मान्य रहेगा।”

IV. मौजूदा विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“पूँजी पर्याप्तता (कैपिटल एडिक्वेंसी) से संबंधित प्रावधान

7. (1) पैसा रखने से संबंधित प्रावधान [पूँजी पर्याप्तता (कैपिटल एडिक्वेंसी) से संबंधित प्रावधान] [जिसका जिक्र विनियम 6 के खंड (घ) में किया गया है] के अनुरूप निम्नानुसार नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) बनाए रखनी होगी –

- (i) श्रेणी-I (प्रवर्ग-I) के मर्चेन्ट बैंकर के लिए कम से कम पचास करोड़ रुपये, और

(ii) श्रेणी-II (प्रवर्ग-II) के मर्चेट बैंकर के लिए कम से कम दस करोड़ रुपये:

परंतु यह कि जिस मर्चेट बैंकर को इन विनियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पहले से ही मिला हुआ हो, वह पैसा रखने से संबंधित प्रावधान [पूँजी पर्याप्तता (कैपिटल एडिक्वेंसी) से संबंधित प्रावधान] का पालन उतने समय में और उसी प्रकार सुनिश्चित करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(2) उप-विनियम (1) में कम से कम जितनी भी नेटवर्थ बनाए रखने को कहा गया है, यदि कोई मर्चेट बैंकर उतनी नेटवर्थ बनाए रखने में असफल रहता हो, तो ऐसे में वह तब तक किसी नए अनुमत कार्य आदि का जिम्मा अपने हाथों में नहीं लेगा जब तक कि वह उस प्रावधान का पालन न कर ले, हालाँकि इसके बावजूद उसके खिलाफ बोर्ड द्वारा कोई दूसरी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ,—

- (क) किसी कंपनी (निगमित निकाय / बॉडी कारपोरेट) के मामले में, “नेटवर्थ” का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (57) में इसके लिए दिया हुआ है; और
- (ख) लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एल.एल.पी. / सीमित दायित्व भागीदारी) के मामले में, “नेटवर्थ” का अर्थ होगा – भागीदारों (पार्टनर्स) द्वारा किए गए कुल अंशदान (कंट्रीब्यूशन) [जो तय हो] की रकम और रिज़र्व्स (आरक्षितियों) की रकम तथा सरप्लस (अधिशेष) की रकम का योग।”

V. मौजूदा विनियम 7 के बाद, निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

“लिक्विड नेटवर्थ रखने से संबंधित प्रावधान

7क. (1) लिक्विड नेटवर्थ रखने से संबंधित प्रावधान [जिसका जिक्र विनियम 6 के खंड (घ) में किया गया है] के अनुसार निम्नानुसार लिक्विड नेटवर्थ बनाए रखनी होगी –

- (i) श्रेणी-I (प्रवर्ग-I) के मर्चेट बैंकर के लिए कम से कम बारह करोड़ पचास लाख रुपये, और
- (ii) श्रेणी-II (प्रवर्ग-II) के मर्चेट बैंकर के लिए कम से कम दो करोड़ पचास लाख रुपये:

परंतु यह कि जिस मर्चेट बैंकर को इन विनियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पहले से ही मिला हुआ हो, वह मर्चेट बैंकर लिक्विड नेटवर्थ बनाए रखने से संबंधित प्रावधान का पालन उतने समय में और उसी प्रकार सुनिश्चित करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(2) उप-विनियम (1) में कम से कम जितनी लिक्विड नेटवर्थ बनाए रखने को कहा गया है, यदि कोई मर्चेट बैंकर उतनी लिक्विड नेटवर्थ बनाए रखने में असफल रहता हो, तो ऐसे में वह तब तक किसी नए अनुमत कार्य का जिम्मा अपने हाथों में नहीं लेगा जब तक कि वह उस प्रावधान का पालन न कर ले, हालाँकि इसके बावजूद उसके खिलाफ बोर्ड द्वारा कोई दूसरी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ, “लिक्विड नेटवर्थ” का अर्थ होगा – नेटवर्थ का वह हिस्सा जो बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित उन लिक्विड असेट्स में लगा हो जिनसे पैसा आसानी से निकाला जा सकता हो और जिन पर कोई ऋण-भार भी न हो, और शब्दों “लिक्विड असेट्स” का अर्थ होगा – कम जोखिम वाले वे असेट्स जिनसे कम समय में पैसा आसानी से निकाला जा सकता हो, जैसे कि नकद रूप में पड़ा पैसा, मीयादी जमाएँ (फिक्स्ड डिपॉजिट), सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़), मुद्रा बाजार लिखतें (मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स), खजाना बिल (ट्रेज़री बिल), सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित रेपो और बाजार में स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियाँ (मार्केटेबल सिक्यूरिटीज़) [लागू हेयरकट सहित]।”

VI. विनियम 9क में, उप-विनियम (1) में,

i. मौजूदा खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(घ) यह हर समय उतना पैसा रखेगा [पूँजी पर्याप्तता (कैपिटल एडिक्वैसी) से संबंधित अपेक्षा पूरी करेगा], जैसा विनियम 7 में जिक्र किया गया है;”

ii. खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(घक) यह हर समय उतनी लिक्विड नेटवर्थ बनाए रखेगा, जैसा विनियम 7क में जिक्र किया गया है;”

iii. खंड (च) और खंड (छ) में दिए हुए चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “;” आ जाएगा;

iv. मौजूदा खंड (छ) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“(ज) यह केवल वही कार्य आदि करेगा, जो बोर्ड इन विनियमों के तहत समय-समय पर करने को कहे;

(झ) यह मर्चेट बैंकिंग से संबंधित अपने मुख्य कार्य आदि किसी बाहरी व्यक्ति या एजेंसी से नहीं करवाएगा (आउटसोर्स नहीं करेगा), जैसे कि,-

(i) पूरी सावधानी बरते जाने (ड्यू डिलिजेंस) से संबंधित कार्य आदि;

(ii) प्रस्ताव (ऑफर) से संबंधित दस्तावेज तैयार किए जाने से संबंधित कार्य आदि; और

(iii) ऐसा कोई दूसरा कार्य आदि, जो बोर्ड समय-समय पर बताए:

परंतु यह कि जिस मर्चेट बैंकर को इन विनियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पहले से ही मिला हुआ हो, वह इस खंड का पालन उतने समय में और उसी प्रकार सुनिश्चित करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(ज) यह अनुमत कार्यों आदि से कम से कम उतनी आमदनी करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए:

परंतु यह कि इन विनियमों के तहत मर्चेट बैंकर को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब रद्द नहीं किया जा सकेगा, जब वह बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताई जाने वाली किसी परिस्थिति की वजह से अपेक्षानुसार न्यूनतम आमदनी न कर पाए;

(ट) जिन कर्मचारियों का जिक्र विनियम 6 के खंड (ख) में किया गया है उन कर्मचारियों के पास और अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) के पास वह प्रमाणपत्र हो (वे प्रमाणपत्र हों), जो बोर्ड बताए:

परंतु यह कि जिस मर्चेट बैंकर को इन विनियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पहले से ही मिला हुआ हो, उसके मामले में जिन कर्मचारियों का जिक्र विनियम 6 के खंड (ख) में किया गया है वे कर्मचारी और अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) ऐसा प्रमाणपत्र (ऐसे प्रमाणपत्र) उतनी समयावधि के भीतर हासिल करेंगे, जो बोर्ड बताए।”

VII. हटाए जा चुके विनियम 9ख के बाद, निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“अपेक्षानुसार कम से कम कितनी आमदनी करनी जरूरी है

9ग. मर्चेट बैंकर यह सुनिश्चित करेगा कि जिन कार्यों का जिक्र इन विनियमों के विनियम 13क के उप-विनियम (1) में किया गया है, उन कार्यों से वह कम से कम उतनी आमदनी करे जैसा बोर्ड बताए:

परंतु यह कि यह विनियम उस मर्चेट बैंकर के मामले में लागू नहीं होगा, जो केवल निम्नलिखित सिक्यूरिटीज़ के इश्यू (निर्गम) के प्रबंधन का कामकाज देखता हो,-

- (i) वे नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़ (सूचीबद्ध असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ), सिक्योरिटाइज़्ड डेट इन्स्ट्रुमेंट्स (प्रतिभूत ऋण लिखतें), सिक्यूरिटी रिसीट्स (प्रतिभूति रसीदें), म्युनिसिपल डेट सिक्यूरिटीज़ (म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियाँ), कमर्शियल पेपर (वाणिज्यिक पत्र), जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों या जिन्हें सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो; या
- (ii) रीट (रियल इस्टेट निवेश न्यास) या इनविट (अवसंरचना निवेश न्यास) की वे यूनितें, जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों या जिन्हें सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो।”

VIII. विनियम 12 में, मौजूदा उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(2) यदि मर्चेट बैंकर उप-विनियम (1) में बताई गई फीस अदा न करे, तो ऐसे में वह तब तक कोई नया कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह फीस की रकम अदा न कर दे, और ऐसे में फीस की रकम अदा करने में जितने महीनों की देरी हुई हो उस हर महीने के लिए या यदि महीना पूरा न हुआ हो तो जितने दिनों की देरी हुई उतने दिनों के लिए, मर्चेट बैंकर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की रकम भी अदा करेगा, हालाँकि इसके बावजूद उसके खिलाफ बोर्ड द्वारा कोई दूसरी कार्रवाई भी की जा सकेगी।”

IX. मौजूदा विनियम 13क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“अनुमत कार्य आदि

13क. (1) जिस मर्चेट बैंकर को इन विनियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मिला हुआ हो, वह प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से जुड़े निम्नलिखित कार्यों आदि [जो बोर्ड के विनियामक (रेग्युलेटरी) दायरे में आते हों] में से कोई भी कार्य कर सकेगा, अर्थात्,-

- i. प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के पब्लिक इश्यू (सार्वजनिक निर्गमों), क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन्स प्लेसमेंट और राइट्स इश्यू (साधिकार निर्गम) के प्रबंधन के कामकाज से जुड़े कार्य आदि; और इनके संबंध में सलाहकार सेवाएँ या परामर्शी सेवाएँ देने से जुड़े कार्य आदि;
- ii. निम्नलिखित से जुड़े कार्य आदि:
 - क. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सब्सटैंशियल एक्विज़िशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्युलेशन्स, 2011] के तहत अर्जन (एक्विज़िशन) तथा अधिग्रहण (टेकओवर) से जुड़े कार्य आदि;
 - ख. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 2018 [सेबी (बाय-बैक ऑफ सिक्यूरिटीज़) रेग्युलेशन्स, 2018] के तहत बाय-बैक से जुड़े कार्य आदि;
 - ग. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021 [सेबी (डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स) रेग्युलेशन्स, 2021] के तहत असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) से जुड़े कार्य आदि;
 - घ. किसी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट (इंतजाम की स्कीम) के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, 2015] के प्रावधानों के पालन से जुड़े कार्य आदि;

- ड. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 [सेबी (शेयर बेस्ड एम्प्लॉई बेनिफिट्स) रेग्यूलेशन, 2021] के तहत स्कीम के कार्यान्वयन से जुड़े कार्य आदि; और
- च. खंड (क) से खंड (ड) में जिन कार्यों आदि का जिक्र किया गया है, उनके संबंध में सलाहकार या परामर्शी सेवाएँ देने से जुड़े कार्य आदि;
- iii. हामीदारी (अंडरराइटिंग) से जुड़े वे कार्य आदि, जो बोर्ड समय-समय पर बताए;
- iv. बोर्ड से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में जो प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों या जिन्हें सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाए जाने का प्रस्ताव हो, उनके प्राइवेट प्लेसमेंट से जुड़े कार्य आदि।
- स्पष्टीकरण:** इस खंड के प्रयोजनार्थ, 'प्रतिभूतियों' (सिक्यूरिटीज़) के बारे में उस तारीख से यह माना जाएगा कि 'उन्हें सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाने का प्रस्ताव' है, जिस तारीख को इश्युअर (निर्गमकर्ता) का बोर्ड संकल्प (रेज़ोल्यूशन) पारित करके जारी की जाने वाली उन प्रतिभूतियों को बोर्ड से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाने के संबंध में मंजूरी प्रदान कर दे;
- v. यदि दूसरे देशों के निवेशकों को प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) जारी किए जाने का प्रस्ताव हो तो उनके प्रबंधन से जुड़े कार्य आदि; और साथ ही उस प्रस्ताव से जुड़ी सलाहकार सेवाएँ और परामर्शी सेवाएँ प्रदान करने से जुड़े कार्य आदि;
- vi. किसी ए.आई.एफ. (आनुकल्पिक निवेश निधि / ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) का प्लेसमेंट मेमोरैंडम दाखिल किए जाने से जुड़े कार्य आदि;
- vii. निष्पक्ष राय देने से जुड़े कार्य आदि;
- viii. बोर्ड से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को खरीदने-बेचने (सेकेंडरी मार्केट ट्रांज़ेक्शन) के प्रबंधन से जुड़े कार्य आदि;
- ix. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के अनुसार मार्केट मेकिंग से जुड़े कार्य आदि; और
- x. ऐसा कोई अन्य कार्य आदि, जो बोर्ड समय-समय पर बताए।

(2) मर्चेन्ट बैंकर-

- i. बोर्ड के विनियामक (रेग्युलेटरी) दायरे में दिए हुए दूसरे कार्य आदि भी, बोर्ड के संबंधित विनियमों (रेग्यूलेशन) के अनुसार संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करके, कर सकेगा; और/या
- ii. वित्तीय क्षेत्र के किसी दूसरे विनियामक (रेग्युलेटर) या किसी अन्य प्राधिकरण [जो बोर्ड बताए] के दायरे में दिए हुए कार्य आदि भी, वित्तीय क्षेत्र के उस विनियामक या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विनियमों (रेग्यूलेशन) या दिशानिर्देशों (गाइडलाइंस) [यदि कोई हों] के अनुसार, कर सकेगा; और/या
- iii. बोर्ड या वित्तीय क्षेत्र के किसी दूसरे विनियामक (रेग्युलेटर) के दायरे में न दिए हुए कार्य आदि भी कर सकेगा, जिनके लिए फीस ली जाए, जिनके लिए फंड का कोई लेनदेन न हो और जो वित्तीय सेवा क्षेत्र से जुड़े हों,

किंतु ये कार्य आदि मर्चेट बैंकर द्वारा अलग बिजनेस यूनिट बनाकर किए जाएंगे और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यों का आपस में किसी भी तरह का कोई संबंध न रहे, और ऐसा उस तरह से किया जाएगा तथा उन शर्तों के तहत किया जाएगा जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए:

परंतु यह कि जो व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आता हो और जिसे इन विनियमों के तहत पहले ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मिला हुआ हो, वह उप-विनियम (1) में उल्लिखित अपने कार्य आदि अलग बिजनेस यूनिट बनाकर करेगा:

परंतु यह और कि जिस मर्चेट बैंकर को इन विनियमों के तहत पहले ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मिला हुआ हो, वह इस उप-विनियम में उल्लिखित अपने कार्य आदि अलग बिजनेस यूनिट (यूनिटें) बनाकर उस बिजनेस यूनिट (उन बिजनेस यूनिटों) में ट्रांसफर करेगा, और ऐसा उसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2025 के लागू होने की तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर या बोर्ड द्वारा बताई गई समयावधि के भीतर करना होगा।

स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, “वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (रेग्यूलटर)” का अर्थ है - वह प्राधिकरण या बॉडी (निकाय), जिसे वित्तीय क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं या किए जाने वाले लेनदेन को विनियमित (रेग्यूलेट) करने के लिए, उस समय लागू किन्हीं कानूनी प्रावधानों के अनुसार, बनाया गया हो, और जिनमें शामिल हैं - भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, या ऐसा दूसरा प्राधिकरण जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(3) मर्चेट बैंकर यह सुनिश्चित करेगा कि उप-विनियम (2) में जिन कार्यों आदि का जिक्र किया गया है, उन पर किसी भी तरह के पड़ने वाले असर का प्रभाव इन विनियमों में मर्चेट बैंकर हेतु निर्धारित शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पर न पड़े।

(4) जिस मर्चेट बैंकर के पास मूल्यांकन से जुड़े कार्य आदि करने के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण (रेग्यूलेटरी अथॉरिटी) का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र न हो, वह मूल्यांकन का जो कार्य अपने हाथों में ले चुका हो और जो पूरा न हुआ हो, उसे वह कार्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2025 के लागू होने की तारीख से नौ महीनों की अवधि के भीतर पूरा करना होगा।”

X. मौजूदा विनियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“बही-खाते (लेखा-बहियाँ), रिकॉर्ड और दूसरे दस्तावेज संभालकर रखना

16. (1) मर्चेट बैंकर वे बही-खाते (लेखा-बहियाँ) और दूसरे रिकॉर्ड तथा दस्तावेज कम से कम आठ वित्तीय वर्षों की अवधि तक संभालकर रखेगा, जिनका जिक्र विनियम 14 में किया गया है।

(2) मर्चेट बैंकर समस्त डाटा और जानकारी, भारत की सीमाओं के भीतर, डाटा के स्टोरेज और डाटा लोकलाइज़ेशन (डाटा कहाँ रखा जाना चाहिए) के संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार, संभालकर रखेगा।”

XI. विनियम 21क में, स्पष्टीकरण में, खंड (i) में, शब्दों तथा चिह्नों “उनमें से कोई, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः इसकी सहयोगी या नियंत्री (होलिंग) कंपनी के माध्यम से, अन्य में कम से कम पंद्रह प्रतिशत मताधिकारों का नियंत्रण रखता है” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “उनमें से कोई, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से [अपनी सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) या नियंत्री (होलिंग) कंपनी के माध्यम से] दूसरे में कम से कम दस प्रतिशत मताधिकारों का नियंत्रण रखता हो” आ जाएंगे।

XII. मौजूदा विनियम 21क के बाद, निम्नलिखित नए विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“मर्चेट बैंकर स्वयं द्वारा लाए जाने वाले इश्यू (निर्गम) के संबंध में मर्चेट बैंकर की भूमिका नहीं निभाएगा

21ख. मर्चेट बैंकर स्वयं द्वारा लाए जाने वाले इश्यू के संबंध में लीड मैनेजर (अग्रणी प्रबंधक) की भूमिका नहीं निभाएगा या स्वयं द्वारा लाए जाने वाले इश्यू के संबंध में किए जाने वाले ऐसे किसी दूसरे कार्य आदि से नहीं जुड़ेगा, जो बोर्ड द्वारा बनाए गए किन्हीं विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के दायरे में आता हो।

मर्चेट बैंकर उस इश्यू के संबंध में मर्चेट बैंकर की भूमिका नहीं निभाएगा, जहाँ शेयर उसके प्रबंध मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की-मैनेजरियल पर्सोनल) या उनके नातेदारों के पास हों

21ग. मर्चेट बैंकर किसी पब्लिक इश्यू (सार्वजनिक निर्गम) के संबंध में तब लीड मैनेजर (अग्रणी प्रबंधक) की भूमिका नहीं निभाएगा, जब उसके निदेशकों, प्रबंध मंडल के दूसरे मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजरियल पर्सोनल), अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर), कर्मचारियों [जिनका जिक्र विनियम 6 के खंड (ख) में किया गया है], या उपरोक्त व्यक्तियों के नातेदार (नातेदारों) की हिस्सेदारी, अलग-अलग या सबकी मिलाकर, इश्युअर की पेड-अप शेयर कैपिटल (समादत्त शेयर पूँजी) की 0.1% से ज्यादा हो या इश्युअर के जितने शेयर हों उनका अंकित मूल्य (नॉमिनल वैल्यू) 10,00,000 रुपये से ज्यादा हो (दोनों में से जो भी कम हो):

परंतु यह कि म्यूचुअल फंडों और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन स्कीमों के जरिए इश्युअर में यदि कोई हिस्सेदारी बन रही हो, तो उसे हिसाब में नहीं लिया जाएगा:

परंतु यह और कि जिस मर्चेट बैंकर के निदेशकों, प्रबंध मंडल के दूसरे मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजरियल पर्सोनल), अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर), कर्मचारियों [जिनका जिक्र विनियम 6 के खंड (ख) में किया गया है], या उपरोक्त व्यक्तियों के नातेदार (नातेदारों) की हिस्सेदारी, अलग-अलग या सबकी मिलाकर, इश्युअर की पेड-अप शेयर कैपिटल (समादत्त शेयर पूँजी) की 0.1% से ज्यादा हो या इश्युअर के जितने शेयर हों उनका अंकित मूल्य (नॉमिनल वैल्यू) 10,00,000 रुपये से ज्यादा हो (दोनों में से जो भी कम हो), उसे तभी नियुक्त किया जा सकेगा जब वह केवल इश्यू की मार्केटिंग करने का ही कार्य कर रहा हो, किंतु इसके लिए भी उसे वह समस्त जानकारी देनी होगी (डिस्कलोजर करने होंगे) जो भी बोर्ड देने (करने) को कहे।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति के ‘नातेदार’ में शामिल होंगे –

- (i) व्यक्ति की पत्नी या उसका पति; या
- (ii) व्यक्ति के माता-पिता और उसकी पत्नी या उसके पति के माता-पिता; या
- (iii) व्यक्ति के भाई-बहन और उसकी पत्नी या उसके पति के भाई-बहन; या
- (iv) व्यक्ति की संतान और उसकी पत्नी या उसके पति की संतान; या
- (v) उप-खंड (iii) में जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया है, उसकी पत्नी या उसका पति; या
- (vi) उप-खंड (iv) में जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया है, उसकी पत्नी या उसका पति; या
- (vii) संबंधित व्यक्ति का हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ)।”

XIII. मौजूदा विनियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“हामीदारी (अंडरराइटिंग) संबंधी बाध्यताएँ

22. मर्चेट बैंकर हामीदारी (अंडरराइटिंग) से संबंधित वे कार्य आदि करेगा, जो बोर्ड समय-समय पर बताए।”

XIV. विनियम 22ख में, मौजूदा उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(2) किसी भी समय, सभी करारों (एग्रीमेंट) के तहत की जाने वाली हामीदारी (अंडरराइटिंग) की कुल रकम मर्चेट बैंकर की लिक्विड नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) के बीस गुना से ज्यादा नहीं होगी:

परंतु यह कि जिस मर्चेट बैंकर को इन विनियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पहले से ही मिला हुआ हो, वह इस उप-विनियम में किए गए प्रावधानों का पालन उतने समय में और उसी प्रकार सुनिश्चित करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।”

XV. विनियम 26 में,

- i. शीर्षक में, शब्दों “शेयरों का अर्जन प्रतिषिद्ध है” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “शेयरों आदि (प्रतिभूतियों / सिक्यूरिटीज़) को खरीदने (अर्जित करने) पर रोक” आ जाएंगे;
- ii. शब्दों “कोई भी मर्चेट बैंकार या उसका कोई निदेशक भागीदार या मुख्य अधिकारी अपने लेखे या अपने सहयुक्तों या नातेदारों की मार्फत निगमित निकायों की प्रतिभूतियों में कोई संव्यवहार ग्राहकों से या अन्यथा किसी वृत्तिक कर्तव्य के अनुक्रम के दौरान अपने द्वारा अभिप्रास अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के आधार पर नहीं करेगा” के स्थान पर, शब्द, चिह्न, अक्षर तथा अंक “कोई भी मर्चेट बैंकर या उसका कोई निदेशक, भागीदार (पार्टनर) या प्रबंधक (मैनेजर) या मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) या अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) या कर्मचारी [जिनका जिक्र विनियम 6 के खंड (ख) में किया गया है], पेशेवर के तौर पर कार्य (फिर चाहे वह कार्य ग्राहक से मिला हो या कहीं और से मिला हो) करने के दौरान मिली अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी (यू.पी.एस.आई.) के आधार पर कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के शेयरों आदि (की प्रतिभूतियों / सिक्यूरिटीज़) में न तो अपने-अपने खातों से और न ही अपने सहयोगियों (असोसिएट) या नातेदारों के जरिए कोई लेनदेन करेगा।” आ जाएंगे।

XVI. मौजूदा विनियम 27 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

27. प्रत्येक मर्चेट बैंकर विनियम 28 के उप-विनियम (2) के अनुसार समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट (आवधिक रिपोर्ट) में बोर्ड के पास निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा -

- (i) जिस कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के इश्यू के प्रबंधन का कामकाज वह देख रहा हो, उस कंपनी (बॉडी कारपोरेट) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को खरीदने (के अर्जन) के संबंध में किए गए किसी लेनदेन (ट्रांजैक्शन) के पूरे ब्यौरे;
- (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोज़र रिक़ायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2018] के अनुसार हामीदारी करने (अंडरराइटिंग) या मार्केट मेकिंग से संबंधित बाध्यताएँ पूरी करने के लिए शेयरों आदि (प्रतिभूतियों / सिक्यूरिटीज़) को खरीदने (के अर्जन) के संबंध में किए गए किसी लेनदेन (ट्रांजैक्शन) के पूरे ब्यौरे;
- (iii) ऐसी कोई दूसरी जानकारी, जो बोर्ड समय-समय पर देने को कहे।”

XVII. मौजूदा विनियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) की नियुक्ति

28क. (1) मर्चेट बैंकर के यहाँ हमेशा एक ऐसा अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) नियुक्त रहेगा-

- (i) जो नियुक्ति के समय कंपनी सेक्रेटरी (कंपनी सचिव) हो या जिसके पास सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय / संस्था से विधि (लॉ) में स्नातक की डिग्री हो; और
- (ii) जिसके पास नियुक्ति के समय योग्यता हासिल करने के बाद कंपनी स्तर पर कानूनी प्रावधानों के किए जाने वाले पालन को सुनिश्चित किए जाने के संबंध में किए जाने वाले कार्यों का या कंपनी सचिव के तौर पर किए जाने वाले कार्यों का कम से कम दो वर्षों का अनुभव हो; और
- (iii) जिसके पास बोर्ड द्वारा बताया गया (बताए गए) प्रमाणपत्र हो (हों), और जो व्यक्ति अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) के तौर पर पहले से ही कार्यरत हो उसे बोर्ड द्वारा बताए गए समय के भीतर ऐसा (ऐसे) प्रमाणपत्र हासिल करना होगा (करने होंगे):

परंतु यह कि जो अनुपालन अधिकारी किसी मर्चेट बैंकर के यहाँ पहले से ही कार्यरत हो वह अनुपालन अधिकारी के तौर पर कार्य करना जारी रख सकेगा, यदि वह उप-विनियम (1) के खंड (i), (ii) और (iii) के प्रावधानों का पालन कर ले या फिर जिसके पास पेशेवर के तौर पर योग्यता होने के साथ-साथ कंपनी स्तर पर कानूनी प्रावधानों के किए जाने वाले पालन को सुनिश्चित किए जाने के संबंध में किए जाने वाले कार्यों का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो और जो बोर्ड द्वारा बताया गया (बताए गए) प्रमाणपत्र हासिल कर ले।

(2) उप-विनियम (1) के अनुसार जिस अनुपालन अधिकारी को नियुक्त किया जाए,-

- (i) वह मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) और कर्मचारियों [जिनका जिक्र विनियम 6 के खंड (ख) में किया गया है] से अलग होगा और उसका उनसे कोई सरोकार नहीं होगा:

परंतु यह कि जिस मर्चेट बैंकर को इन विनियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पहले से ही मिला हुआ हो, वह इस खंड में किए गए प्रावधान का पालन उतने समय में और उसी प्रकार सुनिश्चित करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए;

- (ii) उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि वह-

(क) अधिनियम, नियमों एवं विनियमों (रेग्यूलेशन्स), बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं, जारी किए गए दिशानिर्देशों, अनुदेशों आदि के पालन पर नज़र रखे; और

(ख) निवेशकों की शिकायतों का निवारण करे।

(3) यदि अनुपालन अधिकारी की नज़र में प्रावधानों का पालन न किए जाने का कोई मामला सामने आता है, तो उसे उसकी जानकारी बोर्ड को तुरंत और स्वतंत्र रूप से देनी होगी, और साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बोर्ड द्वारा, यथास्थिति, ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर (प्रस्ताव पत्र) के संबंध में जो भी टिप्पणियाँ दी जाएँ या जो भी कमियाँ बताई जाएँ उनका आगे से ध्यान रखा जाए।

(4) यदि अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) का पद खाली हो जाए, तो ऐसे में मर्चेट बैंकर को इस तरह से पद के खाली होने की तारीख से ज्यादा से ज्यादा तीन महीनों के भीतर दूसरा अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा:

परंतु यह कि मर्चेट बैंकर उस पद को भरने के लिए तब तक किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त नहीं करेगा, जब तक कि उस पद पर नियुक्ति नियमित रूप से की जाने वाली नियुक्ति के मामले में लागू शर्तों के अनुसार न कर ली जाए और जब तक अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्ति को भी वही दायित्व न सौंप दिए जाएँ जो नियमित रूप से नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को सौंपे जाते हैं।”

XVIII. विनियम 31 में,

- i. उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिह्नों “निदेशक (डायरेक्टर),” के बाद और शब्द “भागीदार” से पहले दिए हुए शब्द तथा चिह्न “प्रोप्राइटर,” हट जाएँगे;
- ii. उप-विनियम (3) में, शब्द “भागीदार” के बाद और शब्दों “और कर्मचारी” से पहले दिए हुए चिह्न तथा शब्द “, स्वत्वधारी” हट जाएँगे;
- iii. उप-विनियम (4) में, शब्द तथा चिह्न “निदेशक,” के बाद और शब्द “भागीदार” से पहले दिए हुए शब्द तथा चिह्न “स्वत्वधारी,” हट जाएँगे।

XIX. अध्याय-VI के बाद, निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-VII**कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**

45. इन विनियमों के प्रावधानों के लागू होने को लेकर या उनके आशय को लेकर यदि किसी तरह की कोई कठिनाई आए, तो उसे दूर करने के लिए बोर्ड परिपत्रों (सर्कुलर) के जरिए स्पष्टीकरण या दिशानिर्देश जारी कर सकेगा।”

XX. अनुसूची-I में, प्ररूप (फॉर्म) में,-

i. प्ररूप-क (फॉर्म-क) में,

क. शब्द तथा रोमन अंक “प्रवर्ग I” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा रोमन अंक “श्रेणी-I (प्रवर्ग-I) / श्रेणी-II (प्रवर्ग-II)” आ जाएँगे;

ख. पैरा-2.3 में,-

- i. शब्दों तथा चिह्नों “आवेदक की प्रास्थिति :-” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “आवेदक की स्थिति : ” आ जाएँगे;
- ii. चिह्नों तथा शब्दों “(अर्थात् लिमिटेड कंपनी – प्राइवेट / पब्लिक असीमित कंपनी” के स्थान पर चिह्न तथा शब्द “[अर्थात् आवेदक कंपनी (बॉडी कारपोरेट) है, लिमिटेड कंपनी (प्राइवेट / पब्लिक) है, अनलिमिटेड कंपनी है,” आ जाएँगे;
- iii. शब्दों तथा चिह्नों “भागीदारी, स्वत्वधारी, अन्य सूचीबद्ध हो, स्टॉक एक्सचेंजों के नाम और नवीनतम शेयर कीमत दी जाएगी)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (सीमित दायित्व भागीदारी) है, या कुछ और है। यदि सूचीबद्ध (लिस्टिड) हो, तो यह जानकारी दी जाए कि वह किन-किन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है और साथ ही शेयर के अंतिम कीमत का भी उल्लेख किया जाए]” आ जाएँगे;

ग. पैरा-2.4 में, चिह्न तथा शब्दों “/स्वत्वधारियों की विशिष्टियाँ” के स्थान पर चिह्न तथा शब्द “(पार्टनर) के व्यौरे” आ जाएँगे;

घ. पैरा-5 में, उप-पैरा - 5.1 के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा आ जाएगा:

		“		(₹ लाख में)
5.1	कैपिटल स्ट्रक्चर (पूँजी संरचना)	पिछले वर्ष या चालू वर्ष से पहले वाले वर्ष में	पिछले वर्ष में	चालू वर्ष में
	क) पेड-अप कैपिटल (समादत्त पूँजी)			
	ख) फ्री रिज़र्व (खुली अरक्षितियाँ) [री-वैल्यूएशन रिज़र्व (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों) को छोड़कर]			
	ग) सिक्यूरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट			
	कुल (क) + (ख) + (ग)			

टिप्पणी: लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (सीमित दायित्व भागीदारी) फर्म के मामले में यह उल्लेख करें कि भागीदारों (पार्टनर्स) द्वारा किए गए कुल अंशदान (कंट्रीब्यूशन) [जो तय हो] की रकम और रिज़र्व्स (आरक्षितियों) की रकम तथा सरप्लस (अधिशेष) की रकम का योग कितना है।”

ड. पैरा-6 के बाद दी हुई ‘घोषणा’ में,-

- i. शब्दों तथा चिह्नों “यह घोषणा यथास्थिति, दो निदेशकों, दो भागीदारों या एक मात्र स्वत्वधारी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इस घोषणा पर, यथास्थिति, दो निदेशकों या दो भागीदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए” आ जाएँगे;
- ii. शब्दों तथा चिह्न “निदेशक/भागीदार” के बाद दिए हुए शब्द तथा चिह्न “या एकमात्र स्वत्वधारी निदेशक/भागीदार” हट जाएँगे;

ii. प्ररूप-ख (फॉर्म-ख) में, खंड-1 के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“1. बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 [सेबी अधिनियम] के तहत बनाए गए विनियमों के साथ पठित, सेबी अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई

शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा _____ को श्रेणी-I (प्रवर्ग-I) / श्रेणी-II (प्रवर्ग-II) मर्चेट बैंकर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है, बशर्ते कि वह विनियमों में दी हुई उन शर्तों का पालन करे जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 1992 के तहत उसकी श्रेणी हेतु अनुमत कार्य आदि करने के संबंध में दी हुई हैं।”

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./520/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 1992, सं. एलई/11112/92 द्वारा, 22 दिसम्बर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 1992 तत्पश्चात् –
 - i. 7 सितम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. भाप्रविबो/एलई/1/9/95, द्वारा
 - ii. 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा
 - iii. 6 जून, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1996, सं. भाप्रविबो/एलई/III/5/96, द्वारा
 - iv. 9 दिसम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 837 (अ), द्वारा
 - v. 15 दिसम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 869 (अ), द्वारा
 - vi. 21 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 74 (अ), द्वारा
 - vii. 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 799 (अ), द्वारा
 - viii. 17 नवम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 1119 (अ), द्वारा
 - ix. 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278 (अ), द्वारा
 - x. 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा
 - xi. 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा

- xii. 1 अक्तूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1154(अ), द्वारा
- xiii. 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा
- xiv. 18 अप्रैल, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 560(अ), द्वारा
- xv. 3 मई, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 640(अ), द्वारा
- xvi. 7 सितम्बर, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1448(अ), द्वारा
- xvii. 28 मई, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2007, अधिसूचना सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2517, द्वारा
- xviii. 31 मार्च, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा.सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा
- xix. 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
- xx. 26 अगस्त, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471, द्वारा
- xxi. 13 अप्रैल, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/04/1109, द्वारा
- xxii. 19 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कुछ मध्यवर्तियों [इंटरमीडियरीज़] के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा
- xxiii. 5 जुलाई, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/09/21233, द्वारा
- xxiv. 16 अगस्त, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/17/26149, द्वारा
- xxv. 29 मार्च, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/40/7335, द्वारा
- xxvi. 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

- xxvii. 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
- xxviii. 29 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038, द्वारा
- xxix. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- xxx. 30 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/13, द्वारा
- xxxi. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/23, द्वारा
- xxxii. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- xxxiii. 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा
- xxxiv. 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/137, द्वारा
- xxxv. 18 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/146, द्वारा
- xxxvi. 29 नवम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/214, द्वारा
- xxxvii. 10 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम 2025, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2025/228, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd December, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(MERCHANT BANKERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/282.— In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, namely, —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the thirtieth day from the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, —

- I. in regulation 2, in sub-regulation (1), the existing clause (d) shall be substituted with the following clause, namely, -

“(d) “principal officer” means an employee of the merchant banker, who has at least five years of experience in working in the financial markets, and who has been designated as such by the merchant banker, and is responsible for the decisions made by the merchant banker for the management or administration of merchant banking activities and all other operations of the merchant banker:

Provided that a merchant banker that already holds a certificate of registration under these regulations shall ensure compliance with this clause within such time and in the manner, as may be specified by the Board;”

- II. the existing regulation 3 shall be substituted with the following regulation, namely, -

“Application for grant of certificate of registration.

3. (1) No person shall act as a merchant banker or hold itself out as a merchant banker unless it has obtained a certificate of registration from the Board under these regulations.

(2) An application by a person for grant of a certificate of registration shall be made to the Board in *Form A*.

(3) An application for registration made under sub-regulation (2) shall be accompanied by a non-refundable application fee as specified in Schedule II.

(4) The application under sub-regulation (2) shall be made for any one of the following categories of the merchant banker namely:—

- (a) Category I, which can carry out all the permitted activities;
- (b) Category II, which can carry out all the permitted activities except public issues of equity shares proposed to be listed on the main board of a recognised stock exchange:

Provided that a merchant banker that already holds a certificate of registration under these regulations shall re-categorise itself as Category I or Category II within such time period and in the manner, as may be specified by the Board.”

- III. in regulation 6,

- i. after the words “of a” and before the words “merchant banker”, the word “to” shall be omitted;

- ii. the existing clause (a) without the proviso therein, shall be substituted with the following clause namely,-
- “(a) the applicant shall be a body corporate including a company incorporated under the Companies Act, 2013 or any previous company law or a limited liability partnership firm, except-
- (i) a body corporate incorporated outside India other than a foreign bank licensed by the Reserve Bank of India,
 - (ii) a One Person Company as defined under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and
 - (iii) a non-banking financial company as defined under clause (f) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), as amended from time to time:”;
- iii. after the existing clause (b), the following clause shall be inserted, namely –
- “(ba) the employees referred to in clause (b) and the compliance officer shall possess such certification(s) as may be specified by the Board;”;
- iv. the existing clause (c) shall be omitted;
- v. the existing clause (d) shall be substituted with the following clause, namely, -
- “(d) the applicant fulfils the capital adequacy and liquid net worth requirements specified in regulations 7 and 7A;”;
- vi. in the existing clause (h), the symbol “.” shall be substituted with the symbol “;”;
- vii. after the existing clause (h), the following clause shall be inserted, namely –
- “(i) the conditions as specified by the Board, in case the applicant is directly or indirectly connected with a person already registered with the Board under these regulations.
- Explanation:** For the purposes of this clause, -
- (i) the expression “directly or indirectly connected” with reference to any person means an associate or subsidiary or inter-connected or group company of the applicant, in case of the applicant being a body corporate;
 - (ii) the certificate of registration granted to a merchant banker connected directly or indirectly with another merchant banker prior to the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2025 shall continue to be valid.”
- IV. the existing regulation 7 shall be substituted with the following regulation, namely,-
- “Capital adequacy requirement.**
7. (1) The capital adequacy requirement referred to in clause (d) of regulation 6 shall be a net worth of not less than—
- (i) fifty crore rupees for Category I merchant banker, and
 - (ii) ten crore rupees for Category II merchant banker:
- Provided that the capital adequacy requirement for a merchant banker that already holds a certificate of registration under these regulations shall be complied with, in the manner and within such time, as may be specified by the Board.
- (2) A merchant banker that fails to meet the minimum net worth requirement specified in sub-regulation (1), without prejudice to any action that may be taken by the Board, shall not undertake any fresh permitted activity, till such time it complies with the requirement.
- Explanation:** For the purposes of this regulation, “net worth”, –
- (a) in case of a body corporate, shall have the same meaning assigned to it under sub-section (57) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and
 - (b) in case of a limited liability partnership, shall mean the sum of the partners’ contribution (fixed) plus reserves and surplus.”

V. after existing regulation 7, the following new regulation shall be inserted, namely,-

“Liquid net worth requirement.

7A. (1) The liquid net worth requirement referred to in clause (d) of regulation 6 shall not be less than—

- (i) twelve crore fifty lakh rupees for Category I merchant banker, and
- (ii) two crore fifty lakh rupees for Category II merchant banker:

Provided that the liquid net worth requirement for a merchant banker that already holds a certificate of registration under these regulations shall be complied with, in the manner and within such time, as may be specified by the Board.

(2) A merchant banker that fails to meet the minimum liquid net worth requirement specified in sub-regulation (1), without prejudice to any action that may be taken by the Board, shall not undertake any fresh permitted activity, till such time it complies with the requirement.

Explanation: For the purposes of this regulation, “liquid net worth” shall mean the net worth that is deployed in unencumbered liquid assets, as may be specified by the Board and the expression “liquid assets” shall mean low risk assets that can be converted into cash in a short period of time such as cash, fixed deposits, government securities, money markets instruments, treasury bills, repo on government securities and acceptable marketable securities with applicable haircut.”

VI. in regulation 9A, in sub-regulation (1),

i. the existing clause (d), shall be substituted with the following clause, namely,-

“(d) it shall maintain capital adequacy requirements specified in regulation 7 at all times;”

ii. after the clause (d), the following clause shall be inserted, namely,-

“(da) it shall maintain liquid net worth requirements specified in regulation 7A at all times;”

iii. the symbol “.” appearing in clauses (f) and (g) shall be substituted with the symbol “;”;

iv. after the existing clause (g), the following clauses shall be inserted, namely,-

“(h) it shall undertake only such activities as specified by the Board under these regulations from time to time;

(i) it shall not outsource its core merchant banking activities, namely,-

- (i) due diligence activities;
- (ii) preparation of offer related document; and
- (iii) any other activity as may be specified by the Board from time to time:

Provided that a merchant banker that already holds a certificate of registration under these regulations shall ensure compliance with this clause, in the manner and within such time, as may be specified by the Board;

(j) it shall generate minimum revenue, as may be specified by the Board, from permitted activities:

Provided that the certificate of registration granted to a merchant banker under these regulations may not be cancelled if it is not able to generate minimum revenue due to certain circumstances(s) as may be specified by the Board from time to time;

(k) the employees referred to in clause (b) of regulation 6 and the compliance officer shall possess such certification(s) as may be specified by the Board:

Provided that in case of a merchant banker that already holds a certificate of registration under these regulations, the employees referred to in clause (b) of regulation 6 and the compliance officer shall obtain such certification(s) within such time as may be specified by the Board.”

- VII. after the omitted regulation 9B, the following new regulation shall be inserted, namely, -

“Requirement of minimum revenue generation.

9C. The merchant banker shall ensure that it generates minimum revenue, as specified by the Board, from activities specified under sub-regulation (1) of regulation 13A of these regulations:

Provided that this regulation shall not apply to a merchant banker who manages only the issuance of the following securities, -

- (i) listed or proposed to be listed non-convertible securities, securitized debt instruments, security receipts, municipal debt securities, commercial papers; or
- (ii) listed or proposed to be listed units of a REIT or an InvIT.”

- VIII. in regulation 12, the existing sub-regulation (2) shall be substituted with the following sub-regulation, namely, -

“(2) Where the merchant banker fails to pay such fees as provided in sub-regulation (1), without prejudice to any other action that may be taken by the Board, the merchant banker shall not undertake any new activity till such time the fees is paid by the merchant banker, and shall also be liable to pay interest at 15% per annum for each month of delay or part thereof.”

- IX. the existing regulation 13A shall be substituted with the following regulation, namely,-

“Permitted Activities.

13A. (1) A merchant banker who has been granted a certificate of registration under these regulations shall undertake any of the following permitted activities in the securities market that are regulated by the Board, namely, -

- i. managing of public issues, qualified institutions placements, rights issues of securities and advisory or consulting services incidental to such issues;
- ii. managing of:
 - a. acquisitions and takeovers under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b. buy-back under the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018;
 - c. delisting under the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021;
 - d. compliances as may be required under the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in respect of any scheme of arrangement;
 - e. implementation of a scheme under the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; and
 - f. advisory or consulting services incidental to the activities specified in clauses (a) to (e);
- iii. underwriting activities as specified by the Board from time to time;
- iv. private placement of listed or proposed to be listed securities on a stock exchange recognized by the Board and activities incidental thereto.

Explanation: For the purpose of this clause, ‘securities’ shall be treated as ‘proposed to be listed’ from the date of approval of the board resolution of the issuer, for the issuance of such securities to be listed on a stock exchange recognized by the Board;

- v. managing of international offering of securities and advisory or consulting services incidental to such offering;
- vi. filing of placement memorandum of an alternative investment fund;

- vii. issuance of fairness opinion;
- viii. managing of secondary market transactions of securities listed on a stock exchange recognized by the Board and activities incidental thereto;
- ix. market making in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; and
- x. any other activity as may be specified by the Board from time to time.

(2) A merchant banker may also undertake –

- i. other activities regulated by the Board in accordance with the respective regulations made by the Board by obtaining the relevant certificate of registration; and/or
- ii. activities which fall under the purview of any other financial sector regulator or an authority specified by the Board, in accordance with the regulations or guidelines, if any, issued by such financial sector regulator or authority; and/or
- iii. activities that do not fall under the purview of the Board or any other financial sector regulator or authority, which shall be fee-based, non-fund based and pertain to the financial services sector;

on an arms-length basis through separate business units of such merchant banker, in such manner and subject to such other conditions as may be specified by the Board:

Provided that a person which is regulated by the Reserve Bank of India and which holds a certificate of registration under these regulations shall undertake the activities specified under sub-regulation (1) through separate business unit:

Provided further that a merchant banker that already holds a certificate of registration under these regulations shall transfer the activities referred to in this sub-regulation to separate business unit(s) within a period of six months from the date of coming into force of the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2025 or within such time period as may be specified by the Board.

Explanation: For the purpose of this sub-regulation, the expression “financial sector regulator” shall mean an authority or body constituted under any law for the time being in force to regulate services or transactions in the financial sector and includes the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Pension Fund Regulatory and Development Authority, International Financial Services Centres Authority, Ministry of Corporate Affairs, Insolvency and Bankruptcy Board of India or such other authority as may be specified by the Board, from time to time.

(3) A merchant banker shall ensure that the net worth specified for a merchant banker under these regulations is ring-fenced from any adverse impact that may arise from undertaking the activities specified under sub-regulation (2).

(4) The merchant banker that does not possess the registration for valuation related activities from the relevant regulatory authority shall conclude the existing valuation assignments undertaken by it within a period of nine months from the date of coming into force of the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2025.”

X. the existing regulation 16 shall be substituted with the following regulation, namely, -

“Preservation of books of account, records and other documents.

16. (1) The merchant banker shall preserve the books of account and other records and documents maintained under regulation 14 for a minimum period of eight financial years.

(2) A merchant banker shall maintain all the data and information within the territorial limits of India as per the data storage and localization norms as specified by the Board from time to time.”

XI. in regulation 21A, in the Explanation, in clause (i), the word “fifteen” appearing after the words “not less than” and before the words and symbol “per cent. of the voting rights”, shall be substituted with the word “ten”.

- XII. after existing regulation 21A, the following new regulations shall be inserted, namely,-

“Merchant banker not to act as such in its own issue.

21B. A merchant banker shall not lead manage its own issue or be associated with any other activity undertaken under any of the regulations made by the Board in respect of its own issue.

Merchant banker not to act as such in an issue where shares are held by its key managerial personnel or their relatives.

21C. A merchant banker shall not lead manage any public issue, if its directors, other key managerial personnel, compliance officer, employees referred to in clause (b) of Regulation 6, or relative(s) of the said persons, individually or in aggregate hold more than 0.1% of the paid up share capital or shares whose nominal value is more than 10,00,000 rupees, whichever is lower in the issuer:

Provided that any such holdings in the issuer through mutual funds and employee stock option schemes may be excluded:

Provided further that a merchant banker whose directors, other key managerial personnel, compliance officer, employees referred to in clause (b) of Regulation 6, or relative(s) of the said persons, individually or in aggregate hold more than 0.1% of paid up share capital or shares whose nominal value is more than 10,00,000 rupees, whichever is lower in the issuer, may be appointed, if it is involved only in the marketing of the issue, subject to appropriate disclosures as may be specified by the Board.

Explanation: For the purpose of this clause, the term ‘relative’ in relation to an individual, shall include—

- (i) spouse of the person; or
- (ii) parent of the person and parent of the spouse of such person; or
- (iii) sibling(s) of the person and sibling(s) of the spouse of such person; or
- (iv) child of the person and child of its spouse; or
- (v) spouse of the person referred to at clause (iii); or
- (vi) spouse of the person referred to at clause (iv); or
- (vii) Hindu Undivided Family of the concerned person.”

- XIII. the existing regulation 22 shall be substituted with the following regulation, namely,-

“Underwriting obligations.

22. Merchant bankers shall engage in underwriting activities as specified by the Board from time to time.”

- XIV. in regulation 22B, the existing sub-regulation (2) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,-

“(2) At any point of time, the total underwriting obligations under all the agreements shall not exceed twenty times of the liquid net worth of the merchant banker:

Provided that a merchant banker that already holds certificate of registration under these regulations shall comply with the requirements under this sub-regulation, within such time and in the manner, as may be specified by the Board.”

- XV. in regulation 26,

- i. in the marginal head, the word “shares” shall be substituted with the word “securities”;

- ii. after the words “principal officer” and before the words “shall either on their respective accounts”, the words and symbols “or compliance officer or employees referred to in clause (b) of regulation 6” shall be inserted.

XVI. the existing regulation 27 shall be substituted with the following regulation, namely,-

“Information to the Board.

27. Every merchant banker shall submit to the Board the following information as a part of the periodic report as specified in sub-regulation (2) of regulation 28 –

- (i) complete particulars of any transaction for acquisition of securities of any body corporate whose issue is being managed by it;
- (ii) complete particulars of any transaction for acquisition of securities made in pursuance of underwriting or market making obligations in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- (iii) any other information as may be specified by the Board from time to time.”

XVII. the existing regulation 28A shall be substituted with the following regulation, namely,-

“Appointment of compliance officer.

28A. (1) A merchant banker shall always have a compliance officer who-

- (i) at the time of appointment should be a qualified Company Secretary or have a graduate degree in law from a university/institution recognised by the Government; and
- (ii) at the time of appointment shall have a minimum of two years post qualification experience in activities related to corporate or secretarial compliance; and
- (iii) shall possess such certification(s) as may be specified by the Board, and in case of an existing compliance officer, such certification(s) shall be obtained within such time as may be specified by the Board:

Provided that an existing compliance officer of a merchant banker may continue to act as such if he/she complies with clauses (i), (ii) and (iii) of sub-regulation (1) or has professional qualification with at least five years post qualification experience in activities related to corporate or secretarial compliance and obtains such certification(s) as may be specified by the Board.

(2) The compliance officer appointed under sub-regulation (1) shall be-

- (i) separate and independent from the principal officer and the employees referred to in clause (b) of regulation 6:

Provided that a merchant banker that already holds a certificate of registration under these regulations shall comply with the requirement under this clause within such time and in the manner, as may be specified by the Board;

(ii) responsible for-

- a. monitoring the compliance of the Act, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions, etc., issued by the Board or the Central Government; and
- b. for redressal of investors’ grievances.

(3) The compliance officer shall immediately and independently report to the Board any non-compliance observed by him/her and ensure that the observations made or deficiencies pointed out by the Board in the draft prospectus or the letter of offer as the case may be, do not recur.

(4) In case the office of compliance officer becomes vacant, the merchant banker shall appoint another compliance officer not later than three months from the date of the office becoming vacant:

Provided that the merchant banker shall not fill such vacancy by appointing a person in an interim capacity, unless such appointment is made in accordance with conditions applicable in case of a regular appointment to such position and the obligations applicable to a regular appointee are also made applicable to such person on interim appointment.”

XVIII. in regulation 31,

- i. in sub-regulation (1), the word and symbol “proprietor,” appearing after the word and symbol “director,” and before the word “partner”, shall be omitted;
- ii. in sub-regulation (3), the symbol and word “, proprietor” appearing after the word “partner” and before the words “and employee”, shall be omitted;
- iii. in sub-regulation (4), the word and symbol “proprietor,” appearing after the word and symbol “director,” and before the word “partner”, shall be omitted.

XIX. after Chapter VI, the following chapter shall be inserted, namely, -

“Chapter VII

POWER TO REMOVE DIFFICULTIES

45. In order to remove any difficulties in respect of the applicability or interpretation of these regulations, the Board may issue clarifications or guidelines in the form of circulars.”

XX. in Schedule I, in Forms,-

i. in FORM A, -

- a. after the word and roman numeral “Category I”, the symbol and roman numeral “/II” shall be inserted;
- b. in paragraph 2.3, -
 - i. the words and symbol “body corporate,” shall be inserted before the words “limited company”;
 - ii. the word “partnership” shall be substituted with the words “limited liability partnership”;
 - iii. the word and symbol “proprietary,” shall be omitted;
- c. in paragraph 2.4, the symbol and word “/Proprietors” shall be omitted;
- d. in paragraph 5, the sub-paragraph 5.1 shall be substituted with the following:

“(₹ in lakhs)”

5.1	<i>Capital Structure</i>	<i>Year prior to the preceding year or current year</i>	<i>Preceding year</i>	<i>Current year</i>
	a) Paid-up capital			
	b) Free reserves			
	(excluding revaluation reserves)			
	c) Securities Premium Account			
	Total (a) + (b) + (c)			

Notes: In case of a limited liability partnership firm, please indicate sum of the partners' contribution (fixed) plus reserves and surplus."

e. in the 'DECLARATION' appearing after paragraph 6,-

- i. the words and symbol " , Two Partners or the Sole Proprietor" appearing after the words "Two Directors" and before the words and symbol " , as the case", shall be substituted with the words "or Two Partners";
- ii. the words "or sole Proprietor" appearing after the words and symbol "Director/Partner" shall be omitted;

ii. in FORM B, clause I shall be substituted with the following clause, namely, -

"I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, read with the regulations made thereunder, the Board hereby grants a certificate of registration to as a merchant banker in Category I/II subject to the conditions in the regulations to carry out the activities made permissible for its Category under the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992."

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ext./520/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 was published in the Gazette of India on December 22, 1992 vide No. LE/11112/92.
2. The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 was amended-
 - i. on September 7, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1995 vide No. SEBI/LE/1/9/95;
 - ii. on November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E);
 - iii. on June 6, 1996 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1996 vide SEBI/LE/III/5/96;
 - iv. on December 9, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1997 vide No. S.O. 837 (E);
 - v. on December 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1997 vide No. S. O. 869(E);
 - vi. on January 21, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1998 vide No. S.O. 74 (E);
 - vii. on September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 799 (E);
 - viii. on November 17, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 1119 (E);
 - ix. on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 278 (E);
 - x. on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E);

- xi. on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E);
- xii. on October 1, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers)(Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 1154(E);
- xiii. on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India(Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E);
- xiv. on April 18, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers)(Amendment) Regulations, 2006 vide No. S.O. 560 (E);
- xv. on May 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide No. S.O. 640 (E);
- xvi. on September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers)(Third Amendment) Regulations, 2006 vide No. S.O. 1448 (E);
- xvii. on May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers)(Amendment) Regulations, 2007 vide Notification No.11/LC/GN/2007/2517;
- xviii. on March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees)(Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669;
- xix. on May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries)Regulations, 2008 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538;
- xx. on August 26, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 vide Notification No. LAD/ NRO/GN/2009-10/15/174471;
- xxi. on April 13, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/04/1109;
- xxii. on April 19, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries)(Amendment) Regulations, 2011vide Notification No. LAD/ NRO/GN/ 2011-12/03/12650;
- xxiii. on July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers)(Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/09/21233;
- xxiv. on August 16, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/17/26149;
- xxv. on March 29, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2012vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/40/7335;
- xxvi. on May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089;
- xxvii. on December 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/ 2016-17/023;
- xxviii. on March 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations,2017vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/38;
- xxix. on April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10;
- xxx. on March 30, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Banker) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/13;
- xxxi. on May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) (Regulations) 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23;

- xxxii. on August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30;
- xxxiii. on January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115;
- xxxiv. on July 3, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137;
- xxxv. on August 18, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.
- xxxvi. on November 29, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2024 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/214.
- xxxvii. on February 10, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/228.